

23-12-24

अभिभाषक आर्थी उपस्थित । रेस्टोरेशन गर्भना  
पत्र पर बहस सुनी गई । डॉन रेस्टोरेशन गर्भना  
पत्र का अवलोकन किया तथा उपलब्ध दस्तावेज  
का विश्लेषण एवं बहस पर अनुरोध किया । रेस्टोरेशन  
गर्भना पत्र तथा बहस से किये गये कथनों के  
आधार पर न्यायवृत्ति से रेस्टोरेशन गर्भना पत्र  
रवीकार कर आदेश दिनांक 20-08-2024 को  
रिक्त किया जाकर अपील को रेस्टोरे किया  
जाता है । रेस्टोरेशन गर्भना पत्र नगद से का  
इकर सेल अपील के साथ अलग है।

पंडित  
विश्वनाथ शर्मा  
अधिवक्ता